REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 10 | JULY - 2018

संघवाद सैद्धान्तिक रूपरेखा

रीना
सहायक प्रोफैसर, राजनीति विज्ञान विभाग
आर. के. एस. डी. कॉलेज, कैथल.

भूमिका :

संघीय व्यवस्था का निर्माण दो प्रकार की शक्तियों की प्रक्रिया के माध्यम से होता है पहली प्रक्रिया है केन्द्रगामी शक्तियों की और द्वीतीय है केन्द्र विमुखी शक्तियों की। केन्द्रगामी शक्तियों के द्वारा संघ का निर्माण उस समय होता है जब सार्वभौम राज्य यह अनुभव करतें है कि कुछ ऐसे सामान्य सुरक्षात्मक, राजनीतिक एंव आर्थिक हित या उद्देश्य हैं, जिन्हें पारस्परिक सहयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है । इस प्रकार का संघ समझौतें और सौदेबाजी का परिणाम होता है। अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के संघ का निर्माण इसी प्रकार हुआ है। द्वितीय विधि संघ निर्माण की हैः केन्द्र विमुखी शक्तियों का प्रयोग, इसमें एक विस्तृत भू–क्षेत्र वाली एकात्मक सरकार जो कि विविधता में एकता की आवश्यकता को महसूस करती है, अपनी शक्तियों का विभाजन दो स्तरों पर करती है– केन्द्र व राज्यों में । भारत और कनाडा में संघ की स्थापना इसी प्रकार हुई है।

भारतीय राजनीतिक व्याख्याकारों ने संघात्मक व्यवस्था के सन्दर्भ में अनेक टीकाएँ की हैं, जो इस प्रकार हैः के.सी. व्हीयर ने अपनी रचना फेडरल गवर्नमेन्ट 1956 में संघीय शासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि, ''संघात्मक व्यवस्था के सिद्धांत से मेरा तात्पर्य शक्तियों के विभाजन की विधि से है जिसमें सामान्य और प्रादेशिक सरकारों में से प्रत्येक अपने क्षेत्र विशेष में स्वतंत्र एंव समकक्ष रहें।'' [1]

संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इस प्रकार किया जाता है कि वे एक–दूसरे के अधीन न रहते हुए भी अपने–अपने अधिकार क्षेत्रों में स्वतंत्र रहती है। संघीय व्यवस्था में केन्द्रीय सरकारों को राष्ट्रीय महत्व के विषय दिए जातें है और राज्य सरकारों को राज्य के विषय प्रदान किए जातें है। सरकार एंव संसद के द्वारा निर्मित कानून के अन्तर्गत यें सरकारें अपने–अपने क्षेत्र में सर्वोच्च होती हैं। संघीय सरकार ही एकमात्र केन्द्रीय सरकार का रूप नहीं है बल्कि इसका निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों से मिलकर होता है। हरमन फाइनर इस संदर्भ में कहते हैं। कि, '' संघीय राज्य वह है जिसमें अधिकार और शक्ति का कुछ भाग स्थानीय क्षेत्रों में निहित हो तथा दूसरा भाग स्थानीय क्षेत्रों के समुदाय द्वारा विचारपूर्वक बनाई गई केन्दीय संस्था को प्रदान किया जाए।''[2] संघीय शासन प्रणाली में संघीय स्तर पर विधायिका द्विसदनीय होती है। सामान्यतः उच्च सदन राज्यों का सदन माना जाता हैं। संघीय शासन में केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन कार्य करती हैं। तथा वे अपने–अपने अधिकार क्षेत्र के अन्दर रहकर ही कार्य करती हैं। वे एक–दूसरे के समकक्ष होती हैं।

संघवाद :

संघवाद का अंग्रेजी पर्यायवाची ''फेडरलिज्म'' शब्द लैटिन भाषा के फोऐडस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है – संधि या समझौता । शब्द उत्पत्ति के दृष्टिकोण से समझौते द्वारा निर्मित राज्य को संघ राज्य कहा जा सकता है। इस तरह संघ शासन एक नया राज्य है जिसे विभिन्न इकाईयों के बीच संधि या समझौते के तहत निर्मित किया गया है। संघो की इकाईयों को विभिन्न नामों जैसे–राज्य (अमेरीका में) कैन्टोन (स्विट्जरलैण्ड में) या प्रान्त (कनाडा में) से पुकारा जाता हैं। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन से

अभिप्राय एक ऐसे शासन से होता है, जिससे संविधान द्वारा ही केन्द्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति विभाजन कर दिया जाता है। सामान्य रूप से संघात्मक शासन वह शासन होता है जिसमें राज्य शक्ति केन्दीय अर्थात् संघ की सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच विभाजित होती है। संघवाद या संघीय व्यवस्था को आरंभ सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से ही माना जाता है उसके बाद अन्य देशों। भारत में भी अमेरिका की तरह ही संघवाद या संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है।

संघीय व्यवस्था की विशेषताएँ :

विभिन्न विचारकों के विभिन्न मतों से संघ व्यवस्था की प्रमुख विशेषतोओं का पता चलता है। संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैः

सर्वोच्च लिखित एंव अचल संविधान : किसी भी शासन प्रणाली में संघीय व्यवस्था तभी परिलक्षित हो सकती है, जब संविधान सर्वोच्च एंव लिखित होने के साथ–साथ कठोर भी हो । संघीय व्यवस्था के लिए यह अनिवार्य है कि एक ऐसा लिखित संविधान होना चाहिए जो केन्द्रीय सरकार एंव राज्य सरकारों के मध्य सम्बन्धों को परिभाषित करें। प्रत्येक सरकार के क्षेत्रों का निर्धारण करें और यदि संघ की इकाश्यां अपना–अपना अलग संविधान रखें तो वह सर्वोच्च स्थिति में हो । के. सी. व्हीयर के मतानुसार यदि सरकार को संघात्मक बनाना है तो इसका संविधान अनिवार्यतः सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान की सर्वोच्चता से तात्पर्य है कि, ''समझौते की वे शर्तें, जो सामान्य और क्षेत्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के ऊपर बाध्यकारी होनी चाहिए।''[3]

शक्तियो का विभाजन : संघ व्यवस्था की द्वितीयक विशेषता केन्द्रीय एंव राज्य सरकारों में मध्य शक्ति विभाजन है । कार्ल जे. फ्रेडरिक के अनुसार, '' शक्ति वितरण तथा वह क्षेत्र, जिसमें प्रत्येक सरकार कार्यरत रहेगी, समय और स्थान के अनुसार भिन्न–भिन्न होना चाहिए और होगा भी। आर्थिक और सामाजिक जीवन, सैनिक तथा भौगोलिक तत्व जैसे समस्त बिन्दु विशिष्ट व्यवस्था के निर्धारण में अपनी सामाजिक जीवन, सैनिक तथा भौगोलिक तत्व जैसे समस्त बिन्दु विशिष्ट व्यवस्था के निर्धारण में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगें। राजनीतिक दृष्टि से कोई विशिष्ट सामान्यीकरण या सिद्धांत निर्मित नहीं किया जा सकता। [4] शक्ति विभाजन में केन्द्रीय सरकार की शक्तियां संविधान में वर्णित होती है और अवशिष्ट शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को प्रदान कर दी जाती है। यदि अवशिष्ट शक्तियॉ कन्द्रीय सरकार के पास होगी तो उस व्यवस्था का स्वरूप संघात्मक नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना केन्द्रीय और राज्य सरकारें अपने–अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकेंगी। केन्द्रीय सरकारों की शक्तियों का वर्णन संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैण्ड और आस्ट्रेलिया की संघ व्यवस्था में किया गया है जबकि अवशिष्ट शक्तियॉ राज्य सरकारों को प्रदान की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय : संघीय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय की आवश्यकता एक सामान्य तथ्य है तथा इसके द्वारा दो महत्वपूर्ण कार्य किए जातें हैं। प्रथम, यह केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार या दो अथवा दो से अधिक राज्य सरकारों के मध्य क्षेत्राधिकारों के विवादों का निर्णय करता है और द्वितीय, यह विभिन्न सरकारों को उनकी सीमाओं में रखता है ताकि एक सरकार के द्वारा दूसरी सरकार के क्षेत्राधिकारों पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकें। दोनों प्रकार की शक्तियों के मध्य उचित सन्तुलन की स्थापना संघ व्यवस्था का सार है। प्रत्येक संघीय व्यवस्था अपनाने वाले देश के द्वारा स्वतंत्र एंव निष्पक्ष न्यायालय की स्थापना की जाती है।

द्विसदनीय : संविधान ने द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है– उच्च सदन और निम्न सदन। इन सदनों को अलग–अलग देशों में अलग–अलग नामों से जाना जाता है। जैसे– अमेरीका में उच्च सदन को सीनेट और निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा और भारत में उच्च सदन को राज्य सभा और निम्न सभा को लोकसभा कहा जाता है। उच्च सदन राज्यों का सदन माना जाता है।

संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की हिस्सेदारी : केन्द्र सरकार के साथ–साथ राज्यों को भी संविधान संशोधन प्रक्रिया में सहभागी बनाया जाए, यह संघीय व्यवस्था के लिए आवश्यक है। इस प्रकार संघीय व्यवस्था की आधारभूत व मौलिक पहचान संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन तथा इन दोनों को किसी एक स्तर की सरकार के अतिक्रमण से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था विघमान है।

संघवाद का परम्परागत सिद्धांत :

शास्त्रीय सिद्धांतकारों में ए. वी. डॉयसी, जेम्स ब्राइॅस, रॉबर्ट गैरन, के. सी. व्हीयर एंव जेथो ब्राउॅन प्रमुख हैं। संघवाद के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें दोनों ही स्तर की सरकारें सम्पूर्ण संघीय राजनीतिक व्यवस्था के सन्दर्भ में न तो पूर्णरूपेण एक–दूसरे पर निर्भर रहती है और न ही एक– दूसरे से पूर्णतया स्वतन्त्र अस्तित्व रख पाती है। [5] दोनों ही स्तर की सरकारों को अपने–अपने क्षेत्र में सीमित, पृथक एंव स्वतंत्र मानना आपसी सहयोग की सीमाओं का आभास कराता है । संघवाद की यह व्याख्या आधुनिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कमजोर प्रतीत होने लगी है। इस समय संघीय राज व्यवस्थाओं में कुछ नीति उत्पादन केन्द्रीय व राज्य सरकारों की ऐसी जटिल अन्त : क्रिया के परिणाम होते हैं जिसमें दोनों ही स्तर की सरकारें निर्णयों को लेने, चाहे वे किसी भी स्तर की सरकार के अधिकार से सम्बन्धित हो तथा उन्हें लागू करने में सहभागिता, सहयोग, सद्‌भाव एंव पारस्परिकता का परिचय देती है। जबकि संघवाद की शास्त्रीय धारणा का संकेत दोनों ही स्तर की सरकारों में अन्तः क्रिया के ऐसे प्रतिमान की तरफ है जिसमें प्रत्येक स्तर की सरकार की अपने अधिकार क्षेत्र में पृथकता एंव स्वतंत्रता सुरक्षित रहे। रोनाल्ड़ जे. एम. ने संघवाद की परम्परागत या शास्त्रीय धारणा को दो विसंगतियों से युक्त बतलाया है। [6] प्रथम, संघ व्यवस्था का परम्परागत सिद्धांत केन्द्रीय व राज्य सरकारों की पारस्परिक निर्भरता की अवहेलना करता हैं।जब एक ही राज्य में दोहरी सरकारें स्थापित होती हैं, तो आधारभूत मान्यता उनमें सुनिश्चित सहयोग की ही होती है। इसीलिए संघ व्यवस्था के परम्परागत सिद्धांत का दोनों स्तर की सरकारों को पृथक, स्वतन्त्र मानना संघ व्यवस्था के सिद्धांत की संकुचित व्याख्या करना है। द्वितीय, परम्परागत सिद्धांत ने संघीय घटकों की भिन्नता को स्वीकार किया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया है कि इन इकाइयों की नीतियों में काफी समानता होती है। केन्द्रीय सरकार व राज्यों की सरकारें मोटे तौर पर विरोधी किसी भी संघ व्यवस्था में नहीं रख पाती हैं।

संघवाद का आधुनिक सद्धिांत या दृष्टिकोण :

वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक व्यवस्थाओं की अव्यवस्थित गत्यात्मक शक्तियों एंव उनकी कार्यविधि की जटिलताओं में संघात्मकता का सिद्धांत भी सम्मिलत है। प्रचलित संघीय व्यवस्थाओं की पेचीदा कार्य विधि से केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों में न केवल नवीन आयाम उभरें हैं बल्कि तथ्यों एंव पारस्परिकता की नवीन प्रवृत्तियों ने संघवाद की पुनः व्याख्या को अनिवार्य बना दिया है। मारकस एफ. फ्रेन्डा ने संघवाद की परिभाषा को स्पष्ट करतें हुए लिखा है कि, 'संघवाद एक स्थिर मार्डल या राजनीतिक संगठन का सूत्र न होकर जन आधारित दलों, व्यापक नौकरशाही, विविध प्रकार के अनेक हित समूहों तथा वृद्धिरत कार्यों वाली निर्वाचित सरकारों की अन्तः क्रिया से उत्पन्न निरन्तर परिवर्तनशील व्यवस्था हैं। [7] संगठन की एक विधि के रूप में संघवाद को समय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रख सकते। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक शक्ति के नवीन पहलू महत्वपूर्ण बन गए हैं। राजनीतिक समाजों में विचारधाराओं में बदलाव तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंव धार्मिक तथ्यों के प्रभाव के माध्यम से सरकारों क1 कार्यों में व्यापक परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा हैं। संघवाद की यह नवीन अवधारणा अमल रे. के. अनुसार इस बात से स्पष्ट होती है कि 'संघीय व्यवस्था में दो प्रकार की सत्ताओं को राष्ट्रीय उद्‌देश्यों की पूर्ति में सहयोगी के रूप में रखा जाता हैं।'' [8] केन्द्र और राज्य सरकारोंके मध्य बढ़ता हुआ विचार–विनिमय इन दोनों को सामान्य नीतियों और कार्यक्रमों पर सहमत ही नहीं करता बल्कि संघ की इकाइयां अब अपने–अपने क्षेत्रों में पूर्ण स्वायत्तता की मांग भी नहीं करती हैं, क्योंकि आज के समाज इतने एकीकृत हो गए हैं कि केन्द्र व राज्यों के क्षेत्रों का सुनिश्चय अव्यवहारिक हो गया है। सामान्यतया इन दोनों के अधिकार क्षेत्र एक–दूसरे के ऊपर एक–दूसरे को ढ़कते हुए से प्रतीत होते हैं। इन्हीं सब तथ्यों के फलस्वरूप आधुनिक राजनीतिक समाजों में संघवाद एक गतिशील सहयोग की प्रक्रिया के रूप में देखा जाने लगा है।

संघीय व्यवस्था एंव एकात्मक व्यवस्था :

एकात्मक व्यवस्था में एकीकृत सत्ता पाई जाती है तथा राज्य का सम्पूर्ण क्षेत्र एक राजनीतिक इकाई का निर्माण करता है। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह अनेक उपखण्डों में विभाजित किया जा सकता है लेकिन ये उपखण्ड कृत्रिम होते है। इसके विरीत संघीय व्यवस्था एकता की बजाय संघ की ओर ले जाने वाला साधन है । संघीय व्यवस्था में संविधान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों सरकारों के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट परिभाषित करता है। इस प्रकार जहॉ एक तरफ संघीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्य दोनों स्तरो की स्थिति समान होती है, वहीं दूसरी तरफ एकात्मक व्सवस्था में राजनीतिक उपखण्ड या राज्य केन्द्र सरकार के अधीन होते है। केन्द्र सरकार के द्वारा अपनी इच्छा से उनका निर्माण व विघटन किया जाता है।

संघीय व्यवस्था एंव परिसंघ व्यवस्था :

परिसंघ कुछ विशिष्ट उद्देश्यों में वृद्धि करने या प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्मित संप्रभु राष्ट्रों का एक संघ होता है। परिसंघ में एक केन्द्रीय संगठन स्थपित किया जाता है जो कि प्राय प्रतिनिधियों की सभा से संगठित होती है। [9]

संघीय व्यवस्था एंव परिसंघ व्यवस्था में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि एक परिसंघ में सम्मिलित होने वाले राष्ट्र अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता एंव सम्प्रभुता ये युक्त रहते हैं लेकिन संघ में सम्मिलित होने वाले राष्ट्र अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता एंव सम्प्रभुता खो देते है। जहॉ एक तरफ संघ के माध्यम् से अनेक राज्यों के स्थानों पर एक राज्य उदित होता है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों में परिसंघ के फलस्वरूप एक नया राज्य अस्तित्व में नहीं आता और इसके माध्यम से केवल राज्यों मे एक नई संबंध सूत्रता की स्थापना होती है। संघ का निर्माण संविधान के द्वारा होता है लेकिन परिसंघ का निर्माण अन्तरराष्ट्रीय सन्धि से होता हैं। संघ की विभिन्न इकाइयों के मध्य होने वाला संघर्ष गृह युद्ध कहलाता है, जबकि परिसंघ की इकाइयों के मध्य संघर्ष को अन्तरराष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखा जाता हैं। [10]

संघवाद के प्रतिमान :

संघ व्यवस्थाओं के प्रारंभ से लेकर इस समय ते के अध्ययन से तीन प्रकार के प्रतिमान स्पष्ट रू‍प से दृष्टिगोचर होते हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था की विशेष पस्थितियों के फलस्वरूप संघात्मक शासन व्यवस्था को इन तीन प्रतिमानों में से किसी एक प्रतिमान में रखा जा सकता है इन तीनों प्रतिमानों में मात्रा का अन्तर अधिक तथा प्रकार का कम दिखाई देता हैं। ''(अ) सहकारी संघ व्यवस्था, (ब) सौदेबाजी की संघ व्यवस्था, (स) एकात्मवादी संघ व्यवस्था।'' [11]

सहकारी संघ व्यवस्था : संघात्मक शासन व्यवस्था में शासन शक्तियों को विभाजित करके दो स्वायत्त सरकारों के स्तरों की ही स्थापना नहीं की जाती बल्कि दो प्रकार की इन सरकारों व शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार सहयोग की स्थापना भी की जाती है जिससे विभाजित क्षेत्रों में प्रशासन कुशलतापूर्वक एंव प्रभावशाली ढंग से संचालित किया जा सके। इस प्रकार का सहयोग अति आवश्यक है क्योंकि दोनों ही स्तरों की सरकारें एक ही राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्द्ध होती है तथा उनके उद्देश्य भी एक समान होतें हैं। संघीय व्यवस्था में अनेक तत्व ऐसे होते हैं जो विविधता से युक्त होने के बावजूद भी अन्तः क्षेत्रीय सम्बन्ध और सहयोग बनाए रखते हैं। के. सी. व्हीयर इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि यदि हर प्रदेशिक सरकार अपने तक ही पूर्णरूपेण सीमित रहे तो सम्पूर्ण राजनीतिक व्यवस्था कई मामलों में इस भिन्न–भिन्न नियम व नियंत्रण व्सवस्था के फलस्वरू‍प लाभप्रद स्थिति में नहीं रहेगी तथा प्रादेशिक सरकारों को एक–दूसरे के अनुभवों का लाभ न मिलने के कारण कार्य कुशलता में कमी होने लगेगी। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्येक संघ व्यवस्था में अन्तः सरकारी सहयोग संस्थाओं का प्रावधान संविधान में ही कर दिया जाता है या इस प्रकार के सहयोग की संस्थाएं परम्पराओं के आधार पर विकसित हो जाती हैं। इस प्रकार का सहयोग केन्द्रीय एंव प्रादेशिक सरकारों के मध्य भी होती हैं। विभिन्न हित समूह एंव अन्य संगठन प्रादेशिक सरकारों की सीमाओं के आर–पार उपस्थित रहते हैं तथा दोनों ही स्तर की सरकारों व विभिन्न प्रादेशिक सरकारों में आपस में अन्तः क्रिया की सुदृढ़ आधार पर स्थापन होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संघीय व्यवस्था में सहकारिता न केवल सरकारी स्तर पर भी विघमान रहती है।

भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया तथा कनाडा की संघीय व्यवस्थाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संघीय व्यवस्थाओं में सहकारित के तत्व व्यापक रूप में सन्निहित है।

सौदेबाजी की संघ व्यवस्था : संघीय शासन व्यवस्था में सरकारों का गठन राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है। संघीय व्यवस्था में प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की संभवनाओं व अवसरों के फलस्वरूप विभिन्न दलों के द्वारा राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल स्थानीय हितों की भावनाओं के लिए सौदेबाजी की राजनीति का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार की संघीय व्यवस्थाओं में राजनीतिक दल सत्ता की प्रतिस्पर्धा में जनता का समर्थन संकुचित व क्षेत्रीयता के आधार पर प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इस प्रकार एक ही राजनीतिक व्यवस्था में द्वि–स्तरीय सरकारे ऐसे दलों के नियन्त्रण में आ जाती हैं। जिनमें राष्ट्रीय हितों के प्रति लगाव कम होता है। इस स्थिति में यह संभावना है कि संघीय सरकार पर जिस दल का नियंत्रण हो, उससे भिन्न क्षेत्रीय दलों का या अन्य राष्ट्रीय दलों का संघ की इकाइयों मे प्रभुत्व स्थापित हो जाए। इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होने पर केन्द्रीय व राज्य की इकाइयों के मध्य सौदेबाजी की प्रवृति द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकारों ने सतारूढ़ होकर सौदेबाजी का रूप धारण किया है। इसी संदर्भ में मोरिस जोन्स ने भारतीय संघ व्यवस्था को सौदेबाजी के संघवाद की संज्ञा प्रदान की है। [12] यदि संघीय व्यवस्था में सौदेबाजी केन्द्रीय व राज्य सरकारों की अन्तः क्रिया का आधार बन जाती है तो उसे संघीय स्वरूप के लिए अच्छा नहीं माना जाता है।

एकात्मवादी संघ व्यवस्था : यदि संघीय व्यवस्था संगठन की एक प्रक्रिया है तो इसे स्थिर एंव अपरिवर्तनीय व्यवस्था नहीं माना जा सकता हैं। किसी भी व्यवस्था में समय की मांग के अनुरूप सकारात्मक परिवर्तन अनिवार्य हैं। आधुनिक युग में संघात्मक व्यवस्था यथार्थ के धरातल पर एक ऐसा प्रतिमान है जिसमें अनेक उप–व्यवस्थाएं विघमान हैं। इसके परिणाम स्वरूप निर्णय लेने तथा निर्णयों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया केवल केन्द्रीय व राज्य सरकारों की परस्पर सहभागिता पर ही निर्भर नहीं करती हैं बल्कि इस बात पर भी आधारित होती है कि केन्द्रीय सरकार राजनीतिक समाज के राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति की संभावनाओं, साधनों एंव क्षमताओं के अर्जन में कितनी अग्रसर हैं। संघात्मक शासन व्यवस्थाएँ व्यवहार में इस समय अनेक तत्वों से इतनी अधिक प्रभावित होने लगी है कि कई बार केन्द्र व राज्य सरकारों का सीमांकन करना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था में संघवाद के ऐसे प्रतिमान को एकात्मकवादी संघवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। एकात्मवादी संघीय व्यवस्था को आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है जिसे न तो विशुद्ध रूप से संघात्मक कहा जा सकता है और न ही एकात्मक क्योंकि जिस संविधान ने संघीय अभ्युपगमों को अधिक गम्भीरता से लिया है वह समय के विरूद्ध होने से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाया है। [13] संघात्मक शासन व्यवस्थाएं व्यवहार में इस समय अनेक तत्वों से इतनी प्रभावित होने लगी हैं कि कई बार केन्द्र व राज्य सरकारों का सीमांकन करना भी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की अवस्था में संघवाद के ऐसे प्रतिमान को एकात्मवादी संघवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। वर्तमान में संघ व्यव्स्थाओं के एकात्मकता की ओर झुकाव के अनेक कारक उत्तरदायी हैं। के.सी. व्हीयर ने इस सम्बन्ध में चार प्रमुख तत्वों की चर्चा की है जो इस प्रकार हैः युद्ध, आर्थिक परिवर्तन, उघोग जगत में यान्त्रिक क्रान्ति का प्रवेश तथा सामाजिक सेवाओं का विस्तार। [14]

निष्कर्ष :

संघीय व्यवस्था का आरम्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से माना जाता है। संघीय शासन एक प्रकार का स्वशासन एंव सहयोगी शासन है। संघीय शासन में शक्तियों का विभाजन संघ एंव इकाइयों में पाया जाता है तथा संघ एंव इकाइयां एक–दूसरे के समकक्ष होती हैं। संघीय शासन में दोहरी शासन प्राणली की व्यवस्था होती है । के. सी. व्हीयर ने अपनी रचना–''फेडरल गवर्नमेन्ट'' (1956) में संघीय शासन को परिभाषित करते हुए कहा है कि 'संघीय सिद्धांत, सामान्य एंव क्षेत्रीय सरकारों के मध्य विभाजन है जिससे वे क्षेत्र विशेष में स्वतन्त्र व समकक्ष रहें।' संघीय शासन में संघ एंव इकाइयों को सर्वोच्च संविधान से शक्तियां प्राप्त होती है। संघीय शासन प्रणाली में संघीय स्तर पर विधायिका द्विसदनीय होती है। सामान्यतः उच्च सदन, राज्यों का सदन माना जाता

हैं। जैसें– भरत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समान नहीं होता व जनसंख्या के आधार पर होता है। कोरी एंव अब्राहम के अनुसार, ''संघवाद सरकार का ऐसा दोहरापन है जो विविधता के साथ एकता का समन्वय करने की दृष्टि से शक्तियों के प्रादेशिक एंव प्रकार्यात्मक विभाजन पर आधारित होता है।'' संघीय शासन एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन कार्य करती हैं। संघात्मक व्यवस्था अलग–अलग राजनीतियों को एक ऐसी वृहत्तर राजनीतिक व्यवस्था में संगठित व एकताबद्ध करती है जिसमें हर राजनीतिक व्यवस्था अपनी आधारभूत राजनीतिक अवस्था से युक्त बनी रहती है। के.सी. व्हीयर के अनुसार ''संघात्मक सिद्धांत के लिए यही पर्याप्त नहीं है कि सामान्य सरकार प्रादेशिक सरकारों के समान ही जनता पर क्रियाशील रहे, अपितु यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक सरकार अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहें और प्रत्येक उस क्षेत्र में अन्य सरकारों से स्वतन्त्र रहें।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि संघीय व्यवस्था में सभी आवश्यक लक्षण विघमान है। संघीय व्यवस्था में दोनों स्तर केन्द्र व राज्य अपने–अपने क्षेत्राधिकार में कार्यरत हैं। अतः संघीय व्यवस्था में केन्द्र व राज्य सरकारें एक–दूसरे के समकक्ष रहकर ही कार्य करती हैं। वे एक–दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं। यही संघीय व्यवस्था का सबसे आवश्यक तत्व है जिसे विकेन्द्रीकरण का नाम दिया जाता हैं। विकेन्द्रीकरण के अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारें मिलजुल कर कार्य करती हैं।

[1] के.सी. व्हीयर (1951), *फैडरल गवर्नमेन्ट*, लन्दनः आॅक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 11

[2] हरमन फाइनर (1949), *थ्योरी एण्ड प्रक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेन्ट*, न्यॅयाक्रः हेनरी एण्ड कं:, पृ. 165–166

[3] व्हीयर, पूर्वउल्लेखित, 1951, पृ. 65

[4] कार्ल जे. फ्रेडरिक (1968), *कॉन्स्टीट्यूशंस गवर्नमेन्ट एण्ड डेमोक्रेसी*, लन्दनः विले एण्ड सन्स, पृः 75

[5] धर्मराज शर्मा (2005), ''*भारतीय संघ व्यवस्था : केन्द्र–राज्य सम्बन्ध*,'' नई दिल्ली : रावत, पृ0 39

[6] जे. एम. रोनाल्ड (1970), ''डिसिजन्स मेकिंग एण्ड स्टेबिलिटी इन फेडरल सिस्टम'', *कनेडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स,* 3 (1) : पृ. 199–215

[7] मारकस एफ. फ्रेन्डा (1970), ''फेडरेलिज्म इंडिया : एटिट्यूड्स केपेसिटीज एण्ड कन्सट्रेट्स'', *साउथ एशियन रिण्यू,* 3 (3) :पृः 199–215

[8] अमल रे (1966), *इन्टर गवर्नमेन्टल रिलेशंस इन इंडिया : ए स्टडी ऑफ इंडियन फेडरेलिज्म* , मुम्बईः एशिया पब्लिशिंग हाऊस, पृ. 6–7

[9] शर्मा, पूर्वउल्लेखित, पृ. 36

[10] शर्मा, पूर्वलेखित, पृ. 37

[11] वही, पृ. 40

[12] मोरिस जोन्स (1971), *गवर्नमेन्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया*', लन्दनः हचिसन, पृ. 150

[13] के. लोवेन्स्टीन (1969), *कम्पेरिटिव गवर्नमेन्ट*, लन्दन : मेकमिलन, पृ. 152

[14] शर्मा, पूर्वउल्लेखित, पृ. 44